

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/252-61

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित/सीधी भर्ती से नियुक्त स्थाई/अस्थायी अनुभाग अधिकारी को अनन्तम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का सदर्थ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र०स	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / पदोन्नति पर उपरो तिथि
01	श्री राजेश कुमार लाहोटी, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति 2010-11	सा0	26.09.1957	26.10.2012
02	श्री सतीश कुमार पारीक, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	सा0	09.01.1960	29.01.2015
03	श्री अभय कुमार जैन, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	सा0	01.01.1960	29.01.2015
04	श्री हरेन्द्र कुमार भार्गव, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	सा0	01.07.1959	29.01.2015
05	श्री राजेश बोहरा, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	सा0	01.11.1963	29.01.2015
06	श्री हरि शकर, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	अजा	01.07.1961	29.01.2015
07	श्री छोट्टन लाल मीणा, अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति अस्थायी 2014-15 स्थायी 2015-16	अजजा	30.03.1967	29.01.2015

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 1-एक ही वर्ष में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारी को नियमानुसार वरिष्ठ माना गया है ।
- 2-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।

3-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।

4-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।

5- सेवा नियमों क अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों का आधार माना गया है

६६-

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- 1-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
- 2-वित्त नियंत्रक
- 3-सम्बन्धित कर्मचारी
- 4-निजी पत्रावली
- 5-रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/211-37

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित/सीधी भर्ती से नियुक्त स्थाई/ अस्थायी क्लर्क ग्रेड प्रथम की अस्थायी वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है।

यदि किसी क्लर्क ग्रेड प्रथम को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति उप तिथि
01.	श्री अशोक कुमार वर्मा,	पदोन्नति 1999-2000	अजा	08.08.1969	06.07.1999
02.	श्री गजाधर प्रसाद यादव	पदोन्नति 2010-2011	अपिव	21.07.1961	26.10.2012
03.	श्री अशोक चन्द्रा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	14.05.1962	26.10.2012
04.	श्री राम स्वरूप गोचर	पदोन्नति 2010-2011	अपिव	15.07.1958	26.10.2012
05.	श्री राम स्वरूप शर्मा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	24.02.1959	26.10.2012
06.	श्री बाबू लाल मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	15.08.1962	02.02.2013
07.	श्री कृष्ण गोचर	पदोन्नति 2010-2011	सा०	04.07.1960	26.10.2012
08.	श्री राम प्रसाद महावर	पदोन्नति 2010-2011	अजा	06.10.1972	26.10.2012
09.	श्री किरण कुमार मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	12.07.1973	26.10.2012
10.	श्री बत्ती लाल मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	26.06.1961	26.10.2012
11.	श्री प्रेम शंकर वर्मा	पदोन्नति 2010-2011	अजा	22.11.1969	26.10.2012
12.	श्री अजय सिंह पवॉर	पदोन्नति 2010-2011	सा०	04.12.1961	26.10.2012
13.	श्री विजय बहादुर सिंह	पदोन्नति 2010-2011	सा०	05.10.1971	26.10.2012
14.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	25.06.1965	26.10.2012

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/211-37

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित/सीधी भर्ती से नियुक्त स्थाई/ अस्थाई क्लर्क ग्रेड प्रथम को अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रस्तुत की जाती है।

यदि किसी क्लर्क को अस्थाई वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशन होने की तिथि से एक महीने की अवधि में जमा लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का सदर अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निम्नलिखित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	दर	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति उप तिथि
01.	श्री अशोक कुमार वर्मा,	पदोन्नति 1999-2000	अजा	08.08.1969	06.07.1999
02.	श्री गजाधर प्रसाद यादव	पदोन्नति 2010-2011	अपिव	21.07.1961	26.10.2012
03.	श्री अशोक चन्द्रा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	14.05.1962	26.10.2012
04.	श्री राम स्वरूप गोचर	पदोन्नति 2010-2011	अपिव	15.07.1958	26.10.2012
05.	श्री राम स्वरूप शर्मा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	24.02.1959	26.10.2012
06.	श्री बाबू लाल मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	15.08.1962	02.02.2013
07.	श्री कृष्ण गोचर	पदोन्नति 2010-2011	सा०	04.07.1960	26.10.2012
08.	श्री राम प्रसाद महावर	पदोन्नति 2010-2011	अजा	06.10.1972	26.10.2012
09.	श्री किरण कुमार मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	12.07.1973	26.10.2012
10.	श्री बत्ती लाल मीणा	पदोन्नति 2010-2011	अज जा	26.06.1961	26.10.2012
11.	श्री प्रेम शंकर वर्मा	पदोन्नति 2010-2011	अजा	22.11.1969	26.10.2012
12.	श्री अजय सिंह पवॉर	पदोन्नति 2010-2011	सा०	04.12.1961	26.10.2012
13.	श्री विजय बहादुर सिंह	पदोन्नति 2010-2011	सा०	05.10.1971	26.10.2012
14.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	पदोन्नति 2010-2011	सा०	25.06.1965	26.10.2012

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 183-93

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित/सीधी भर्ती से नियुक्त स्थाई / अस्थाई क्लर्क ग्रेड द्वितीय की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है।

यदि किसी क्लर्क ग्रेड द्वितीय को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति उप तिथि
01.	श्री कजोडी लाल मीणा	पदोन्नत 2010-2011	अ.ज.जा.	16.06.1965	02.02.2013
02	श्री नन्द किशोर	पदोन्नत 2010-2011	सा0	01.05.1962	26.10.2012
03	श्री शिव नारायण	पदोन्नत 2010-2011	सा0	03.07.1965	26.10.2012
04	श्री राम कुमार योगी	पदोन्नत 2010-2011	सा0	08.08.1968	26.10.2012
05	श्री कृष्ण कुमार यादव	पदोन्नत 2010-2011	अपिव	29.09.1977	26.10.2012
06	श्रीमति योगेश कुमारी गौतम (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2004-05 केयर टेकर 2011-12 क्लर्क ग्रेड II	सा0	01.07.1970	22.12.2011
07	श्री मुकेश गोचर, (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2009-10 पदोन्नति 2015-2016	अपिव	15.05.1980	02.02.2016
08	श्री फरहान बाबर खान, (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2016-2017	सा0	25.05.1989	23.02.2017

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है।

प्रतिलिपि:-

- 01-वरिष्ठ निजी सहायक,माननीय कुलपति
- 02-वित्त नियंत्रक
- 03-सम्बन्धित कर्मचारी 04.निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/183-93

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित/सीधी भर्ती से नियुक्त स्थाई / अस्थाई क्लर्क ग्रेड द्वितीय की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी क्लर्क ग्रेड द्वितीय को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0सं 0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति उप तिथि
01.	श्री कजोडी लाल मीणा	पदोन्नत 2010-2011	अ.ज.जा.	16.06.1965	02.02.2013
02	श्री नन्द किशोर	पदोन्नत 2010-2011	सा0	01.05.1962	26.10.2012
03	श्री शिव नारायण	पदोन्नत 2010-2011	सा0	03.07.1965	26.10.2012
04	श्री राम कुमार योगी	पदोन्नत 2010-2011	सा0	08.08.1968	26.10.2012
05	श्री कृष्ण कुमार यादव	पदोन्नत 2010-2011	अपिव	29.09.1977	26.10.2012
06	श्रीमति योगेश कुमारी गौतम (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2004-05 केयर टेकर 2011-12 क्लर्क ग्रेड II	सा0	01.07.1970	22.12.2011
07.	श्री मुकेश गोचर, (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2009-10 पदोन्नति 2015-2016	अपिव	15.05.1980	02.02.2016
08	श्री फरहान बाबर खान, (मृतक आश्रित)	अनुकम्पा नियुक्ति 2016-2017	सा0	25.05.1989	23.02.2017

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

- 01-वरिष्ठ निजी सहायक,माननीय कुलपति
- 02-वित्त नियंत्रक
- 03-सम्बन्धित कर्मचारी 04.निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/301-40

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अनन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति/ उप तिथि
01	श्री महावीर प्रसाद, बुक लिफ्टर	सीधी भर्ती 1986-87	सा0	28.12.1961	26.01.1987
02.	श्री दुर्गालाल /बी.एल., चपरासी	---	अजा.	08.08.1959	26.01.1987
03.	श्री रामस्वरूप नामा, चपरासी	---	सा0	01.07.1964	26.01.1987
04.	श्री शंकरलाल, लाई. अटें.	---	सा0	08.07.1968	01.01.1988
05.	श्री रामभरोस, गार्डनर	---	सा0	03.05.1959	01.01.1988
06.	श्री नंदलाल सैन, चौकीदार	---	सा0	05.07.1958	01.01.1988
07.	श्री श्रीलाल, चपरासी	---	सा0	08.03.1964	01.01.1988
08	श्री शिशुपाल, सफाई कर्मचारी	---	अजा.	30.08.1966	01.01.1988
09	श्री ताराचंद, सफाई कर्मचारी	---	अजा.	15.12.1966	02.01.1988
10	श्री राम लाल मेघवाल, लाई. अटें0	---	अजा	05.07.1962	04.01.1988
11	श्री जगदीश कुमार, चपरासी	सीधी भर्ती 1988-89	अ.जा.	06.02.1963	25.05.1988
12	श्री मदन सिंह, बेलदार	सीधी भर्ती 1989-90	सा0	20.07.1958	09.06.1989
13	श्री सम्पत राज, बुकलिफ्टर	---	सा0	08.10.1957	09.06.1989
14	श्री रवि प्रकाश, बेलदार	---	सा0	22.06.1966	09.06.1989
15.	श्री रमेश चन्द, गार्डनर	---	सा0	10.04.1966	09.06.1989
16.	श्री नरेन्द्र सिंह, फौरोमेन	---	सा0	16.07.1959	09.06.1989
17.	श्री राधेश्याम सुमन, बेलदार(मृतक आश्रित)	सीधी भर्ती 1989-90	सा0	05.09.1971	08.03.1990
18.	श्री छीतर लाल, बेलदार	सीधी भर्ती 1990-91	अजा0	26.07.1962	11.04.1990
19.	श्री लक्ष्मी नारायण, चपरासी	सीधी भर्ती 1990-91	अपिव	16.07..1966	20.07.1990
20.	श्री बजरंग सिंह, बेलदार	---	सा0	07.05.1967	22.09.1990
21.	श्री विक्रम सिंह, चपरासी	सीधी भर्ती 1990-91	सा0	03.11.1969	26.11.1990

22.	श्री नन्द किशोर, चपरासी	सीधी भर्ती 1990-91	सा0	19.09.1966	01.02.1991
23.	श्री श्याम लाल मीणा, चपरासी	सीधी भर्ती 1993-94 विशेष अभियान अजा/अजजा	अज जा	01.07.1971	10.08.1993
24.	श्रीमति सीमा अटवाल, महिला परिचायिका	सीधी भर्ती 1993-94	अजा.	17.04.1963	17.11.1993
25.	श्रीमति बादाम बाई, जलधारी	अनुकम्पा नियुक्ति 1998-99	अज जा	26.01.1971	04.04.1998
26.	श्री रईस मोहम्मद, चपरासी	सीधी भर्ती 1998-99	अपिव	04.11.1968	19.09.1998
27.	श्री राकेश कुमार राठौड, चपरासी	सीधी भर्ती 1998-99	सा0	29.07.1963	19.09.1998
28.	श्री राजेश कुमार मेघवाल, चौकीदार	सीधी भर्ती 1998-99	अजा.	21.07.1973	19.09.1998
29.	श्री राधेश्याम, चौकीदार	सीधी भर्ती 1998-99	सा0	06.06.1972	19.09.1998
30.	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, चपरासी	सीधी भर्ती 1998-99	सा0	26.11.1966	19.09.1998
31.	श्रीमति सुमित्रा बाई, चपरासी	अनुकम्पा नियुक्ति 2001-02	सा0	05.12.1964	08.01.2002
32.	श्रीमति कामायनी शर्मा महिला परिचायिका	अनुकम्पा नियुक्ति 2002-03	सा0	20.03.1964	04.12.2002
33.	श्री मोहम्मद इदरिस, चौकीदार	अनुकम्पा नियुक्ति 2003-04	अपिव	07.11.1977	11.07.2003
34.	श्रीमति अनिता विजयवर्गीय, डुप्ली. मशीन ऑपरेटर	अनुकम्पा नियुक्ति 2008-09	सा0	03.06.1978	06.08.2008
35.	श्री मनोज कुमार, सफाई कर्मचारी	अनुकम्पा नियुक्ति 2008-09	अजा 0	10.07.1987	06.08.2008
36.	श्रीमती राजेश मीणा, चपरासी	अनुकम्पा नियुक्ति 2013-14	अज जा	01.01.1977	29.05.2013
37.	श्री मोहम्मद दानिश, चपरासी	अनुकम्पा नियुक्ति 2014-15	सा0	07.08.1994	13.06.2014

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

६०-
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/262-75

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थायी तकनीकी सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी तकनीकी सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / उपस्थिति तिथि
01.	श्री अशोक कुमार	विशेष भर्ती, 1993	अजा	15.01.1965	05.07.1993
02.	श्री राजेश कुमार	—“—	अजा	14.03.1966	05.07.1993 (म.प.)
03	श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा	सीधी भर्ती, 1993	सा0	18.09.1966	25.01.1994
04.	श्री रमेश चन्द्र मीणा	—“—, 1995	अजजा	10.01.1972	11.10.1995
05.	श्रीमति दीक्षा सेनी	—“—, 1996	अपिव	19.01.1971	08.04.1996
06.	श्री पारस जैन	—“—, 1997	सा0	29.02.1968	08.01.1997
07.	श्री मुकेश सिंह नायक	—“—	अजा	30.10.1967	06.01.1997(म.प.)
08	श्री राकेश सरोजा	—“—	अपिव	26.11.1972	05.09.1997
09	श्री धर्मवीर मेवाड़ा	—“—	अपिव	01.07.1963	12.09.1997
10	श्री राम निवास जॉगिड	पदोन्नति 2011-12	सा0	01.07.1958	23.12.2011
11	श्री नरोत्तम कुमार शर्मा	पदोन्नति 2011-12	सा0	24.01.1960	23.12.2011

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशेषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


 कुलसचिव


 कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/143-45

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई कनिष्ठ तकनीकी सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी कनिष्ठ तकनीकी सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री प्रभू लाल	सीधी भर्ती 1993-94	अजा	23.11.1960	25.01.1994

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

- 1-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
- 3-सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुल सचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 203-10

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई वरिष्ठ तकनिशियन की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी वरिष्ठ तकनिशियन को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति/पदोन्नति पर उप.तिथि.
01.	श्री भवानी शंकर नागर	सीधी भर्ती, 1997-98	अपिव	15.09.1959	15.01.1998
02	श्री अनिल कुमार शर्मा	पदोन्नति 2011-12	सा0	17.06.1958	23.12.2011
03.	श्री लाडली प्रसाद कुर्मी	पदोन्नति 2011-12	सा0	10.02.1963	23.12.2011
04.	श्री मुरलीधर उन्नीयाल	पदोन्नति 2011-12	सा0	08.02.1962	23.12.2011
05.	श्री रामजीवन कुमावत	पदोन्नति 2015-16	सा0	01.07.1962	03.02.2016

01. एक ही वर्ष में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारी को नियमानुसार वरिष्ठ माना गया है ।
02. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
04. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
05. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
3. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक-एफ(4)ग्रेड 2/75.02/2017/238-51

दिनांक- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थायी तकनीशियन की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है यदि किसी तकनीशियन को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का सदभं अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / पदोन्नति पर उप० तिथि
01.	श्री जगदीश प्रसाद सैनी	सीधी भर्ती, 1992	सा०	02.07.1962	27.01.1992
02.	श्री गोविन्द विप्रा	—	सा०	10.07.1963	28.01.1992
03.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	—	सा०	20.05.1964	28.01.1992
04.	श्री खुशेन्द्र कुमार माथुर	—	सा०	07.09.1965	28.01.1992
05.	श्री लक्ष्मीराज सिंह	—	अजा	10.10.1965	28.01.1992
06.	श्री लोकेन्द्र कुमार शर्मा	—	सा०	01.03.1963	29.01.1992
07.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	—	सा०	23.01.1968	29.01.1992
08.	श्री ज्ञानेश्वर शर्मा	—	सा०	23.08.1965	12.02.1992
09.	श्री नरेश कुमार सोनी	—	सा०	24.10.1966	28.01.1992
10.	श्री मुकेश जैन	—	सा०	06.07.1967	01.02.1992
11.	श्री सुदामा लाल गोस्वामी	—	सा०	11.04.1966	30.01.1992
12.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	—	सा०	12.01.1970	03.04.1992
13.	श्री मदन मोहन सुमन	—	सा०	01.10.1966	30.06.1992
14.	श्री सीता राम डोंगी	विशेष भर्ती 1993	अजा	05.07.1967	29.06.1993
15.	श्री राजू भारती	—	अजा	10.06.1965	16.08.1993
16.	श्री चौधमल गोस्वामी	सीधी भर्ती 1993	सा०	03.07.1966	24.11.1993(म.प.)

17	श्री भारत भूषण गुप्ता	--	सा0	05.10.1971	24.01.1995
18	श्री धमेन्द्र कुमार	विशेष भर्ती, 1995	अजा	13.04.1972	11.09.1995
19	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	सीधी भर्ती 1998	सा0	01.01.1966	06.10.1998
20	श्री डी0के0 मेहरोत्रा	पदोन्नति 2012-13	सा0	01.01.1961	17.07.2013
21	श्री चेताराम गोचर	पदोन्नति 2012-13	सा0	20.08.1970	17.07.2013


वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 1-एक ही वर्ष में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारी को नियमानुसार वरिष्ठ माना गया है ।
- 2-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 3-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशाषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 4-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 5- सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

- 1-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
- 2-वित्त नियंत्रक
- 3-सम्बन्धित कर्मचारी
- 4-निजी पत्रावली
- 5-रक्षित पत्रावली


कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 140-42

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई / स्थाई वेल्डर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी वेल्डर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री ओम प्रकाश कुमावत	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	29.06.1965	20.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति

02. वित्त नियंत्रक

03. सम्बन्धित कर्मचारी 04. निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

६०
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/146-49

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई कम्प्यूटर प्रोग्रामर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री सलीम अख्तर जावेद	सीधी भर्ती 1987-88	सा0	22.04.1961	26.06.1987
02	श्रीमति सीमा शर्मा	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	19.11.1971	28.10.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

- 01-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
- 03-सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुल सचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड 2 / 75.02 / 2017 / 146-49

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई कम्प्यूटर प्रोग्रामर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी कम्प्यूटर प्रोग्रामर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री सलीम अख्तर जावेद	सीधी भर्ती 1987-88	सा०	22.04.1961	26.06.1987
02	श्रीमति सीमा शर्मा	सीधी भर्ती 1993-94	सा०	19.11.1971	28.10.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

- 01-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
- 03-सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुल सचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/150-53

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई केयरटेकर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी केयरटेकर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री अशोक कुमार पारीक	सीधी भर्ती 1993-94	सा०	26.01.1963	17.11.1993 (म.प.)
02	श्री जगदीश कुमार	सीधी भर्ती 1993-94	सा०	01.07.1959	17.11.1993 (म.प.)

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/15457

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई मैस सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी मैस सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	11.06.1961	05.11.1993
02	श्री विनय सिंघल	सीधी भर्ती 1993-94	अजा	21.07.1963	22.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है


कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
02. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/158-60

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई सहायक पी0टी0आई की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है।

यदि किसी सहायक पी0टी0आई को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री एम0एम0 अंसारी	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	01.07.1969	19.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

ए-
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति

02. वित्त नियंत्रक

03. सम्बन्धित कर्मचारी 04. निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/164-66

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई सहायक अभियन्ता की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी सहायक अभियन्ता को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री मनोज चित्तोडा	पदोन्नत 2013-14	सा०	17.07.1968	01.08.2013

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है ।

प्रतिलिपि:-

- 01 वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
- 03-सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुल सचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/167-69

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई कनिष्ठ लेखाकार की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी कनिष्ठ लेखाकार को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदौन्नति पर उप० तिथि
01.	श्री महेन्द्र सिंह	सीधी भर्ती 1998-99	सा०	14.07.1960	06.10.1998

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

हृ०-
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त अधिकारी
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/169-70

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदौन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री मोहन लाल गुप्ता	पदौन्नति 2015-16	सा0	01.01.1959	03.02.2016

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

ए6
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 161-63

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई आशुलिपिक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी आशुलिपिक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री के0के0 शर्मा	सीधी भर्ती 1998	सा0	05.10.1963	06.10.1998

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक,माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

एक-
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 171-73

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई वरिष्ठ निजी सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी वरिष्ठ निजी सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदौन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री रधुवीर सिंह राठौड़	पदौन्नति 2015-16	सा0	30.06.1960	03.02.2016

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 1-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 2-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशांषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 3-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 4-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

- 1-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
- 2-वित्त नियंत्रक
- 3-सम्बन्धित कर्मचारी 04.निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

86-
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/174-78

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई निजी सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी निजी सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदौन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री श्याम कुमार लढ्ढा	पदौन्नति 2010-11	सा0	18.12.1971	29.01.2011
02	श्री अब्दुल नदीम	पदौन्नति 2010-11	सा0	08.09.1970	29.01.2011
03	श्री भरत कुमार भट्ट	पदौन्नति 2015-16	सा0	17.07.1964	03.02.2016

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशांषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/174-78

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई निजी सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी निजी सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री श्याम कुमार लढ्ढा	पदोन्नति 2010-11	सा0	18.12.1971	29.01.2011
02	श्री अब्दुल नदीम	पदोन्नति 2010-11	सा0	08.09.1970	29.01.2011
03	श्री भरत कुमार भट्ट	पदोन्नति 2015-16	सा0	17.07.1964	03.02.2016

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 341-43

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई मेडिकल अटेंडण्ट की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी मेडिकल अटेंडण्ट को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री रमेश चन्द	सीधी भर्ती 1993-94	सा०	09.07.1960	06.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंभा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

ए.ए.
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/347-50

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई प्लम्बर कम हेल्पर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी प्लम्बर कम हेल्पर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री पुरुषोत्तम वर्मा	सीधी भर्ती 1993-94	अपिव	16.01.1962	20.11.1993
02	श्री बाबू लाल मेघवाल	सीधी भर्ती 1993-94	अजा	06.08.1964	20.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशांषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है ।

६०-
कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:—एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 351-55

दिनांक:—15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई प्लम्बर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है। यदि किसी प्लम्बर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का सदर्थ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री धनराज सिंह	सीधी भर्ती 1992-93	सा0	04.11.1962	15.06.1992
02	श्री राम मनोहर शर्मा	सीधी भर्ती 1992-93	सा0	02.09.1959	11.06.1992
03	श्री फूलचन्द	सीधी भर्ती 1992-93	अजा	13.07.1964	15.06.1992

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

1. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
2. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
3. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है।
4. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है।

कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

- 01 वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
- 2 वित्त नियंत्रक
- 02 सम्बन्धित कर्मचारी
- 04 निजी पत्रावली
- 05 रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/356-58

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई होस्टल सुपरवाइजर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी होस्टल सुपरवाइजर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री विजय कुमार चतुर्वेदी	सीधी भर्ती 1995-96	सा0	30.07.1961	16.09.1995

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 1-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 2-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशांषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
- 3-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
- 4-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

- 01/ वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
02. सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2 / 75.02 / 2017 / 359-63

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई ड्राफ्ट्समैन की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी ड्राफ्ट्समैन को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	सीधी भर्ती 1986-87	सा0	05.06.1961	07.08.1986
02	श्री राधेश्याम सैन	सीधी भर्ती 1986-87	सा0	01.06.1960	12.08.1986
03	श्री भगवान स्वरूप शर्मा	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	15.08.1962	19.11.1993(म.प0)

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/364-70

दिनांक- 15/09/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई प्रयोगशाला सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी प्रयोगशाला सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियों संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र०सं	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उपर तिथि
01	श्री नित्येन्द्र सिंह पाल	सीधी भर्ती 1987-88	सा0	15.09.1961	25.06.1987
02	श्री कालू लाल लोदवाल	विशेष भर्ती 1989-90	अजजा	09.07.1965	31.07.1989
03	श्री अनिल कुमार	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	30.05.1967	29.12.1993
04	श्री नेमीचन्द्र महावर	सीधी भर्ती 1995-96	अजा	18.03.1971	04.12.1995
05	श्री महेन्द्र चतुर्वेदी	सीधी भर्ती 1998-99	सा0	17.09.1971	26.09.1998

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।

02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।

03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।

04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है ।


कुल सचिव

प्रतिलिपि: 1- वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति 2. वित्त नियंत्रक

3-सम्बन्धित कर्मचारी 04-निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/371-75

दिनांक:-15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई सूचना सहायक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी सूचना सहायक को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी	सीधी भर्ती 1993-94	सा0	01.06.1969	06.11.1993
02	श्री देवेन्द्र सिंह हाडा	सीधी भर्ती 1995-96	सा0	01.01.1969	10.11.1995
03	श्री कमलेश कुमार जैन	सीधी भर्ती 1995-96	सा0	08.04.1973	13.11.1995

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली

८०-
कुलसचिव


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/376-81

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई इलेक्ट्रीशियन ग्रेड. II की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है।

यदि किसी इलेक्ट्रीशियन ग्रेड. II को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री भँवर लाल	सीधी भर्ती 1992	सा0	13.04.1967	04.07.1992
02	श्री मुकेश सक्सेना	सीधी भर्ती 1992	सा0	10.06.1965	04.07.1992
03	श्री नरेन्द्र पाल वर्मा	वि श्लेष भर्ती 1997	अजा	16.11.1967	17.09.1997
04	श्री ओम प्रकाश चौहान	सीधी भर्ती 1998	सा0	10.09.1963	26.09.1998

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

- 01-सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
- 02-एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
- 03-अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है।
- 04-सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है।


कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

- 1-वरिष्ठ निजी सहायक माननीय कुलपति
2. वित्त नियंत्रक
- 3-सम्बन्धित कर्मचारी
- 04.निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/276-302

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई प्रयोगशाला अनुचर की अनन्तिम वारिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी प्रयोगशाला अनुचर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्त /पदोन्नति पर उप0 तिथि
01	श्री चौथमल मेधवाल	सीधी भर्ती 1992	अजा	01.01.1967	23.01.1992
02	श्री एन0के0 सोलंकी	—”—	सा0	14.09.1966	21.01.1992
03	श्री सतीश कुमार शर्मा	—”—	सा0	08.08.1971	20.01.1992
04	श्री एस0एन0 दुबे	—”—	सा0	01.07.1970	28.01.1992
05	श्री हरि कुमार शर्मा	—”—	सा0	26.01.1971	22.01.1992
06	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	—”—	सा0	06.07.1965	20.01.1992
07	श्री दिलीप सिंह	—”—	सा0	07.07.1967	04.02.1992
08	श्री सी0पी0 शर्मा	—”—	सा0	30.07.1969	01.02.1992
09	श्री कालू सिंह नरुका	—”—	सा0	20.11.1966	04.02.1992
10	श्री मिश्री लाल	—”—	अजा	18.09.1967	01.06.1992
11	श्री बाल किशन वर्मा	सीधी भर्ती 1993	अजा	04.10.1968	28.06.1993
12	श्री बृजमोहन भील	—”—	अजजा	03.07.1970	29.06.1993
13	श्री हर सहाय रेगर	—”—	अजा	01.06.1967	23.06.1993
14	श्री अमर सिंह	अनु0नियुक्त 1997	सा0	23.05.1978	07.11.1997
15	श्री सुनील कौशिक	सीधी भर्ती 1998	सा0	23.02.1968	19.09.1998

16	श्री नन्द किशोर नागर	--	अपिव	10.12.1970	19.09.1998
17	श्री गोरख योगी	--	अपिव	23.08.1969	19.09.1998
18	श्री धमेन्द्र श्रृंगी	--	सा0	29.10.1969	19.09.1998
19	श्री बृजराज वर्मा	--	अजा	10.07.1974	19.09.1998
20	श्रीमति रूकमणी शर्मा	--	सा0	04.01.1973	19.09.1998
21	श्री हेमराज	--	सा0	07.08.1972	19.09.1998
22	श्री देवी शंकर	--	अजा	11.06.1976	19.09.1998

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. एक ही वर्ष में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों में से पदोन्नत कर्मचारी को नियमानुसार वरिष्ठ माना गया है ।
02. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता कम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
04. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
05. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

६०-
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/344-46

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई/स्थाई पम्प बॉय की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है।

यदि किसी पम्प बॉय को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रातर्लिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र. सं०	नाम	चिारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति /पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री शिवराज सिंह		सीधी भर्ती 1993-94	सा०	01.01.1968	16.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंषा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है।


कुल सचिव

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति
02. वित्त नियंत्रक
03. सम्बन्धित कर्मचारी
04. निजी पत्रावली
05. रक्षित पत्रावली


कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्रमांक:-एफ(4)ग्रेड.2/75.02/2017/140-42

दिनांक:- 15/04/17

कार्यालय आदेश

सीधी भर्ती से नियुक्त अस्थाई / रथाई वेल्डर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है ।

यदि किसी वेल्डर को वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के प्रकाशित होने की तिथि से 1(एक)माह की अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्ति की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित कर सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करते हुये अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

यदि उपरोक्त अवधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो इस वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची मान लिया जावेगा । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी अभ्यावेदन/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	भर्ती वर्ष	वर्ग	जन्म तिथि	पद पर नियुक्ति / पदोन्नति पर उप० तिथि
01	श्री ओम प्रकाश कुमावत	सीधी भर्ती 1993-94	सा०	29.06.1965	20.11.1993

वरिष्ठता सूची निम्न आधार पर तैयार की गई है:-

01. सीधी भर्ती से एक ही चयन समिति द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
02. एक ही वर्ष में दो चयन समितियों की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मचारी से प्रथम चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारी को वरिष्ठ माना गया है ।
03. अन्य आधार समान होते हुये पूर्व (निचले) पद की वरिष्ठता को उच्च पद पर यथावत माना गया है ।
04. सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों को आधार माना गया है

प्रतिलिपि:-

01. वरिष्ठ निजी सहायक, माननीय कुलपति

02. वित्त नियंत्रक

03. सम्बन्धित कर्मचारी 04. निजी पत्रावली 05. रक्षित पत्रावली

६०-
कुलसचिव


कुलसचिव